नम्बर व
अहक...
हुक्म की ता...
में जारी हुए...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम बनेडा तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–29 / 2018

अनवान

1 तेजु पिता रामकरण कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 मोहन पिता रामकरण कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3 भैरू पिता रामकरण कुमावत मृतक के बजाय–
3/1 श्यामलाल पिता भैरू कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/2 देवालाल पिता भैरू कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/3 ताराचन्द पिता भैरू कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/4 शान्तिलाल नारायण पिता भैरू कुमावत ना.बा.ब.बि भाई ताराचन्द पिता भैरू कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/5 हीरी पुत्री भैरू कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/6 मीठु पुत्री भैरू कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/7 प्रेमी पुत्री भैरू कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4 बद्री पिता रामकरण कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
5 रामेश्वर पिता रामकरण कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
6 शंकर पिता रामकरण कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
7 संतोक पुत्री रामकरण कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
8 बाली पुत्री रामकरण कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
9 रूकमा पत्नि रामकरण कुमावत मृतका के बजाय वादीगण संख्या 01 से 08 .... **वादीगण**

बनाम

1 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0 ..... **प्रतिवादी**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री मुरारी जोशी वकील वादीगण

पेरोकार सरकार........विपक्षी संख्या 09

दिनांक – **06.06.2018**

वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण, सहमति के आधार पर अन्तर्गत धारा 88–89–90–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बनेडा पटवार हल्का क्षेत्र बनेडा भु.अ.निरीक्षक क्षेत्र बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 1658 के आराजी संख्या 1338, 1339, 1340, 1357 कुल किता 04 कुल रकबा 03–01 बीघा के राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार वादीगण के पिता/दादा के नाम के स्थान पर सवाईराम पिता गोमा कुमावत के बजाय रामकरण कुमावत का नाम अंकन कर, दुरूस्तिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम बनेड़ा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बनेडा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

करण संख्या :–29/2018

अनवान

1 तेजु पिता रामकरण कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 मोहन पिता रामकरण कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3 भैरू पिता रामकरण कुमावत मृतक के बजाय–
3/1 श्यामलाल पिता भैरू कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/2 देवालाल पिता भैरू कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/3 ताराचन्द पिता भैरू कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/4 शान्तिलाल नारायण पिता भैरू कुमावत ना.बा.ब.बि भाई ताराचन्द पिता भैरू कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/5 हीरी पुत्री भैरू कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/6 मीठु पुत्री भैरू कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3/7 प्रेमी पुत्री भैरू कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4 बद्री पिता रामकरण कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
5 रामेश्वर पिता रामकरण कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
6 शंकर पिता रामकरण कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
7 संतोक पुत्री रामकरण कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
8 बाली पुत्री रामकरण कुमावत उम्र वयस्क निवासी कोडलाई तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
9 रूकमा पत्नि रामकरण कुमावत मृतका के बजाय वादीगण संख्या 01 से 08

.... वादीगण

बनाम

1 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री मुरारी जोशी वकील वादीगण**
पेरोकार सरकार........विपक्षी संख्या 09

–:: निर्णय ::–

दिनांक 06.06.2018

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम बनेडा पटवार हल्का क्षैत्र बनेडा भु.अ.निरीक्षक क्षैत्र बनेडा

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा (भीलवाडा)

...ल बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 1658 के आराजी संख्या 1338, 1339, 1340, ...7 कुल किता 04 कुल रकबा 03–01 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड कि चालु जमाबन्दी संवत ...065–68 में वादीगण के दादा के भाई सवाईराम पिता गोमा कुमावत के नाम दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। विवादित आराजीयात बतौर सर्वप्रथम पुरूष यानि वादीगण के पडदादा श्री गोमा कुमावत के काल से मौरूशी जायदाद के तौर पर चली आ रही है। वादीगण के दादा दो भाई नन्दा व सवाईराम हुए, जिसमें से नन्दा कुमावत के एक पुत्र रामकरण कुमावत उत्पन्न हुए, जो हम वादीगण के पिता है, और दुसरी तरफ वादीगण के दादा के दुसरे भाई सवाईराम कुमावत जिनके कोई सन्तान उत्पन्न नही हुई थी एंव लाऔलाद ही फौत हुए थे। किन्तु राजस्व कर्मचारीयों ने भूलवश विवादित आराजीयात का राजस्व रेकार्ड में त्रूटीपूर्ण अंकन कर हम वादीगण के पिता रामकरण कुमावत के स्थान पर वादीगण के दादा के भाई सवाईराम कुमावत जो कि लाऔलाद फौत हुए थे, का नाम पर दर्ज कर दिया गया। जबकी विवादित सम्पति वादीगण की पैत्रक आराजीयात होकर वादीगण दादा के जीवन काल से ही काबिज है एव वर्तमान में उपरोक्त आराजीयात पर उपयोग व उपभोग करता चले आ रहे है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता/दादा का नाम सवाईराम पिता गोमा कुमावत के बजाय रामकरण कुमावत का नाम अंकन कर, दुरूस्त किये जाने की डिक्री सादर फरमाई जावें।

2. प्रकरण को दिनांक 07.03.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की जरिये सम्मन तलबी की गई। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम बनेडा के लिए पंजीबद्ध किया गया। विपक्षी राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेडा ने मार्फत हल्का पटवारी एंव भु.अ.निरीक्षक बनेडा के शिविर के दौरान ही सहमति रिपोर्ट तैयार पैश की, जिसे रिकार्ड पर लिया गया। वादीगण की शहादत्त में वादी संख्या 02 व स्वतंत्र साक्ष्य के तौर पर दो अन्य व्यक्ति श्री प्रभुलाल पिता कन्हैयालाल कुमावत, चैनुलाल पिता रामलाल गुर्जर से वक्त केम्प ही जिरह संपादित की जाकर बयान कलमबद्ध किये गये। जिन पर लाल स्याही से कमशः पी.डब्ल्यू–1, पी.डब्ल्यू–2, पी.डब्ल्यू–3 का तथा वादपत्र से संलग्न राजस्व आधार अभिलेखों पर कमशः प्रदर्श–1, प्रदर्श–2, प्रदर्श–3 का अंकन किया गया। वादी द्वारा प्रकरण को शीघ्र निस्तारण किये जाने की भावना से वादपत्र में बहस प्रस्तुत करनी चाहने से बहस सुनी गई। वादपत्र के अन्तिम निपटारे के लिए वादीगण मय अधिवक्ता नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर वादपत्र स्वीकार किये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त की।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

उक्त प्रकरण में पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, वादपत्र के समर्थन में संलग्नबद्ध बयानो एवं वादपत्र में अंकित बिन्दुओं के अध्ययन एवं मनन उपरान्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के साथ संलग्न राजस्व आधार अभिलेख रेकार्ड, से यह प्रमाणित होता है कि विवादित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता/दादा का नाम सवाईराम पिता गोमा कुमावत के बजाय रामकरण कुमावत का नाम पर अंकन कर, दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत दस्तावेजात के मेरिट पर परिक्षण से प्रकरण के शीघ्र निस्तारण सिद्धान्त की भावना से प्रेरित होकर न्यायायिक दृष्टी से स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी, सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बनेडा पटवार हल्का क्षैत्र बनेडा भु.अ.निरीक्षक क्षैत्र बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित खतौनी संख्या 1658 के आराजी संख्या 1338, 1339, 1340, 1357 कुल किता 04 कुल रकबा 03–01 बीघा के राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार वादीगण के पिता/दादा के नाम के स्थान पर सवाईराम पिता गोमा कुमावत के बजाय रामकरण कुमावत का नाम अंकन कर, दुरूस्तिकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुकाम बनेडा को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)